बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक– प्र०–7/नियम–06/2023 /पटना, दिनांक.....................

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, (रा0उ0प सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता, (रा0उ0प सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता, (रा0उ0प सहित),
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
प्रबंध निदेशक, BRPNNL, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL, पटना।

विषय :– निविदा प्रक्रिया में संवेदक द्वारा निविदा वापस लेने के संबंध में।

महाशय,

विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि आमंत्रित निविदा में निविदाकार द्वारा निविदा में भाग लेने के पश्चात् अपनी निविदा वापस करने हेतु आवेदन दिया जाता है जो सर्वथा स्थापित नियमों के विरुद्ध है। ऐसी परिस्थिति में एकल निविदा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जो निविदा के बहिस्कार के समतुल्य समझी जा सकती है। बीड डॉक्यूमेंट में यह वर्णित होता है कि बीड समर्पित करने के पश्चात् निविदा वापस नही ली जा सकती है, अर्थात् वापस होने की स्थिति में विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक समझी जा सकती है। सामान्यतः सभी निविदा eproc के माध्यम से प्राप्त की जाती है जो पारदर्शी एवं सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निदेश है कि वैसे निविदाकार, जो निविदा खुलने की तिथि से बीड वैलिडिटी अवधि तक निविदा वापस लेते हैं तो उनकी EMD जब्त की जाए साथ ही गुण–दोष के आधार पर निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (ii) एवं (x) के आलोक में कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक– प्र०–7/ नियम–06/2023 8090(ई) /पटना, दिनांक..... 28/12/23

प्रतिलिपि :– (i) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन एवं मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(ii) माननीय उपमुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
(iii) IT Manager, पथ निर्माण विभाग के portal पर Up-load करने हेतु प्रेषित।

(सोहैल [illegible])
28/12/2023

D:\A.V.S FOLDER\SECTION-7 & K.KALENDRA JEE & SIDHU NATH JHA\2023\VIVIDH.DOCX